

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

वित्त प्रभाग

लेखा-परीक्षा अनुभाग

(संकाय एवं समूह क-ख)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

दिनांक: 09.03.2021

फा.सं.143/21-22/आयकर/लेखा-परीक्षा

ज्ञापन

विषय: वित्त वर्ष 2021-22 (निर्धारण वर्ष 2022-23) के लिए अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के स्टाफ सदस्यों के वेतन में से स्रोत पर आयकर की कटौती संबंधी।

सीबीडीटी द्वारा वेतन में से आयकर की कटौती को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192, संगत वित्त अधिनियमों, परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं आदि के तहत कवर किया गया है।

उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में तथा पुराने एवं नए विकल्पों की परिगणनाओं के अनुसार लेखा-परीक्षा अनुभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 हेतु वेतन में से निम्नानुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी:-

क्र.सं.	स्तर	पदनाम	वेतन पर टीडीएस
1.	17,15,14ए	निदेशक, प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक, आचार्य	65,000 प्रतिमाह
2.	14	उप-निदेशक (प्रशासन)	50,000 प्रतिमाह
3.	13ए2	अपर आचार्य	61,000 प्रतिमाह
4.	13ए1+	सहायक आचार्य	51,000 प्रतिमाह
5.	13	सह-आचार्य	38,000 प्रतिमाह
6.	13	वरि. वित्त सलाहकार, वैज्ञानिक-IV, अधीक्षण अभियंता, सिस्टम एनालिस्ट आदि	32,000 प्रतिमाह
7.	-	सहायक आचार्य (संविदात्मक)	23,000 प्रतिमाह
8.	12	वित्त सलाहकार, कार्यकारी अभियंता, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि	30,000 प्रतिमाह
9.	11	वरि. प्रशा. अधिकारी/वित्त एवं मु. लेखा अधिकारी आदि	9,000 प्रतिमाह
10.	10	प्रशा. अधिकारी (प्रशा. एवं लेखा) एवं सभी अन्य समूह 'क' अधिकारी	7,000 प्रतिमाह
11.	6 से 9	सभी समूह ख अधिकारी	2,500 प्रतिमाह



स्रोत पर प्रतिमाह वेतन से वसूले जाने वाली आयकर की उपर्युक्त दरों की मासिक परिवहन भत्ता एवं आयकर नियमों के तहत स्वीकार्य अधिकतम छूटों को देने के पश्चात गणना की गई है। हालांकि स्वीकार्य कटौतियों की सूचना एवं संबंधित स्टाफ सदस्य से संगत दस्तावेजों/साक्ष्यों की प्राप्ति पर आगामी महीनों में टीडीएस को समायोजित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, टीडीएस परिपत्रों के अनुसार सभी निर्धारिती (स्टाफ सदस्य)-यह सुनिश्चित करें कि, उनके एक वर्ष के संभावित कर योग्य आय की कटौती उन्हें आयकर विभाग द्वारा दंड/जुर्माने आदि से बचाने के लिए दिसंबर 2021 तक की जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि एक बार आयकर की कटौती हो जाने पर इसे नियोक्ता द्वारा लौटाया नहीं जा सकता एवं इसे आयकर विवरणी में समायोजित किया जाता है।

अतः सभी स्टाफ सदस्यों से अपेक्षित है कि वह अपनी स्वीकार्य कटौतियों के बारे में निर्धारित अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा अनुभाग को सूचित कर दें, ऐसा न करने पर निर्धारिती (स्टाफ-सदस्य) किसी भी प्रकार के अधिक/कम टीडीएस कटौती के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।


लेखा अधिकारी (लेखा-परीक्षा)

वितरण:

सभी विभाग/केंद्र/एकक

सभी सूचना पट्ट एवं कंप्यूटर सुविधा - इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।



श्री संजीव कुमार

श्री अमन

संजय गुप्ता
11/03

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
FINANCE DIVISION
AUDIT SECTION
(FACULTY & GROUP A-B)

No.F-143/21-22/Income Tax/Audit

Ansari Nagar , New Delhi - 29

Dated:- 09/03/2021

MEMORANDUM

Sub : Deduction of Income Tax at Source (TDS) salaries of employees of AIIMS, New Delhi for the FY 2021-22 (AY 2022-23).

The deduction of income tax at source i.e. salaries is covered under section 192 of the Income – Tax Act, 1961, relevant Finance Acts, circulars & notifications, etc. by CBDT.

In compliance to above statutory provisions and as per the calculations in old & new options, Audit Section will deduct TDS on Salaries for FY 2021-22 as follows:

S#	Level	Designation	TDS on Salary
1.	17,15.14A	Director, Chief, MS, Professor	65,000 pm
2.	14	DD(A)	50,000 pm
3.	13A2	Addl. Professor	61,000 pm
4.	13A1+	Associate Professor	51,000 pm
5.	13	Asst. Professor	38,000 pm
6.	13	Sr. FA , Scientist-IV , SE, Sys. Analyst etc.	32,000 pm
7.	-	Asst. Professor (Contractual)	23,000 pm
8.	12	FA, EE, C.Lib., CMO, etc.	30,000 pm
9.	11	Sr. AO / F&CAO etc.	9,000 pm
10.	10	AO (Adm & A/c) & all other Gr. A officers	7,000 pm
11.	6 to 9	All Gr. B Officers	2,500 pm

The above rates of Income Tax to be recovered per month at source have been calculated after giving the maximum rebates admissible under the Income Tax Rules & monthly transport allowance. However, on receipt of intimation of admissible deductions & relevant documents/proofs by the individual assesses, TDS will be adjusted for subsequent months.

Besides, as per TDS circulars, all assesses may ensure that 80% of Income Tax on their tentative taxable income of the Year is deducted by December, 2021 to avoid penalty/fine etc. by Income Tax Department. It is also informed that Income Tax once deducted can't be refunded by the employer & is adjusted in Income Tax Returns.

Therefore, all employees are required to intimate their admissible deductions Audit Section within the stipulated period failing which the assesses himself/ herself shall be responsible for any excess / short deduction of TDS.

[Signature]
ACCOUNTS OFFICER (AUDIT)

Distribution:

All Department/Centre/Units.

All Notice Boards & CF to upload on Institute's website.

